

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 03/2018

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार जरिये तहसीलदार रोहट		जमना पत्नी मोटाराम पीटल निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार


--: आदेश ::--

दिनांक : 17.05.2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरुद्ध अप्रार्थिया अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट में अप्रार्थिया को राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के खसरा नम्बर 285 में से रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. बेरा के नियम विरुद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। जिसके बाद आवंटन ख.न. 382/285 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. बेरा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए गए। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीयां बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थिया के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के आराजी खसरा नम्बर 382/285 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. बेरा जो ख.न. 285 गैर मुमकिन नदी का भाग दर्ज थी। जिसमें से आवंटन उप जिला कलेक्टर, पाली के आदेश क्रमांक पीए/266-70 दिनांक 20.02.1997 के द्वारा किया गया है। उक्त भूमि की किस्म वक्त आवंटन गै.मु. नदी दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 471 दिनांक 08.07.1997 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 382/285 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. बेरा जो गैर मुमकिन नदी ख.न. 285 दर्ज थी, जिसमें से आवंटन अप्रार्थिया को राज. भू राजस्व(सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के तहत 24/- रु. प्रति वर्ष लीज पर उप जिला कलेक्टर, पाली के आदेश क्रमांक पीए/266-70 दिनांक 20.02.1997 के द्वारा किया


जिला कलेक्टर
पाली (राज.)


क्रमश2

::2::

गया एवं उसकी पालना में तहसीलदार रोहट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 471 दिनांक 08.07.1997 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थिया जमना पत्नी मोटाराम को गैर खातेदार दर्ज किया गया, जो आदिनांक तक बदस्तूर है। वक्त आवंटन/नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थिया के हक में किया गया आवंटन विधि विरुद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उप जिला कलेक्टर, पाली के आदेश क्रमांक पीए/266-70 दिनांक 20.02.1997 की पालना में तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 471 दिनांक 08.07.1997 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थिया जमना पत्नी मोटाराम पीटल निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) के पक्ष में उप जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा जरिये आदेश क्रमांक पीए/266-70 दिनांक 20.02.1997 द्वारा जो आवंटन किया गया उक्त आदेश एवं उसकी पालना में तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 471 दिनांक 08.07.1997 को निरस्त फरमाया जावे।




(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
(राज.)